केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/252 दिनांक: 04.09.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00245
CICOM/R/2017/00742

अपीलकर्ता : श्री आलोक कुमार तिवारी,
45, खतराना टोला (जमुना रोड),
स्थान – कोतवाली, जिला – इटावा,
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 04.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	10.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती पुष्पा जनार्दनन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156945/17.08.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 07.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 29.04.2012को दाखिल द्वितीय अपील के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में केवल द्वितीय अपील की तारीख (29-4-12) का उल्लेख किया है अन्य कोई भी विवरण आवेदन पत्र में नहीं है । आवेदन पत्र में द्वितीय अपील की तारीख के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण नहीं होने एवं उक्त द्वितीय अपील दाखिल किए पांच साल बीत जाने के कारण उक्त द्वितीय अपील की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है । प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नं. 9761659563 पर संपर्क पर करने पर अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त द्वितीय अपील से संबंधित कोई सुनवाई सूचना या आयोग का आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । अपीलकर्ता से कहा गया कि यदि उनके पास उक्त द्वितीय अपील की प्रति है तो आयोग को उपलब्ध करवा दें ताकि उक्त अपील की जांच के पश्चात उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके । अपीलकर्ता ने सहमति व्यक्त करते हुए का कि उनके पास उक्त द्वितीय अपील का सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध है । अतः अपीलकर्ता से अनुरोध है कि इस आदेश के अनुपालन में उक्त द्वितीय अपील से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति इस आदेश की प्रति के साथ श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1, केन्द्रीय सूचना आयोग को उपलब्ध करवा दें ताकि प्राथमिकता के आधार पर उक्त द्वितीय अपील से संबंधित आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री-1, केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वितीय अपील की उक्त प्रति प्राप्त होने पर नियमानुसार प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

RECEIVED
07 SEP 2017
D. No.........
Initials.........